



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Registered/E-mail

RO/RPCB/SWM/SWM-869/ **2531-2536**

Date: **25/03/2026**

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Subject:- Minutes of Public Hearing dated 13.03.2026 conducted for Environmental Clearance of M/s Shri Adil Ahmad S/o Shri Jamil Ahmad for their proposed M.L./Plot No. 27/2025 of Masonry Stone (Minor Mineral), Mining Project, Area – 1.155 Ha. (Proposed), Production Capacity – 94320 TPA (ROM), Cluster Area:- 48.83 hectare situated at Near Village- Syaroli, Tehsil- Wazirpur, Distt. Sawai Madhopur (Raj.).

Ref:- 1. Office of the District Collector Sawai Madhopur letter no. 357 dated 21.01.2026.
2. Public hearing conducted on 13.03.2026 at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Syaroli Gram Panchayat - Syaroli, Tehsil – Wazirpur, District - Sawai Madhopur.**

Respected Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 13.03.2026 conducted at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Syaroli Gram Panchayat - Syaroli, Tehsil – Wazirpur, District - Sawai Madhopur** for Environmental Clearance M/s Shri Adil Ahmad S/o Shri Jamil Ahmad for their proposed M.L./Plot No. 27/2025 of Masonry Stone (Minor Mineral), Mining Project, Area – 1.155 Ha. (Proposed), Production Capacity – 94320 TPA (ROM), Cluster Area:- 48.83 hectare situated at Near Village- Syaroli, Tehsil- Wazirpur, Distt. Sawai Madhopur (Raj.).

Information regarding the public hearing was published by project proponent on 06.02.2026 in two newspapers of Sawai Madhopur edition of Gulabi Hulchal and the Dainik Bhaskar.

The public hearing of the above proposed mining project was conducted on 13.03.2026 and proceeding of the same is hereby enclosed in original along with pen drive of videography carried during public hearing, photography, attendance sheet and copy of newspaper published as above mentioned.

Enclosed:-

1. Minutes of meeting of public hearing in original (2 pages).
2. Attendance sheet of persons present during public hearing in original (3 pages).
3. Videography of public hearing in Pen drive & Photographs.
4. Copy of newspapers published dated 06.02.2026.

Yours sincerely

(Baljeet Meena)
Regional Officer

Signature valid

Digitally signed by Baljeet Meena
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2026.03.25 18:05:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21267619

1





REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001

Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Sawai Madhopur.
3. Additional District Collector, Gangapur City, District - Sawai Madhopur.
4. Analyst Cum Programmer , Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceeding of public hearing on Board's website.
5. M/s Shri Adil Ahmad S/o Shri Jamil Ahmad, R/o Near Jama Masjid, Tehsil- Wazirpur, District- Sawai Madhopur (Rajasthan).

Regional Officer

[Handwritten Signature]

Signature valid

Digitally signed by Balliet Meena
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2026.03.25 18:05:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21267619

1



Scanned with OKEN Scanner

(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 13.03.2026 का कार्यवृत्त

श्री अदिल अहमद द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, खनन पट्टा संख्या. 27/2025, क्षेत्रफल- 1.155 हेक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता -94,320 TPA (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल 48.83 हेक्टर, निकट ग्राम - श्यारौली, तहसील- वजीरपुर, जिला-सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोकजन सुनवाई दिनांक 13.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत - श्यारौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र', श्यारौली, तहसील - वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर में श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 28 लोग उपस्थित रहे। उपस्थिति पत्र "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र सवाई माधोपुर जिले के गुलाबी हलचल एवं दैनिक भास्कर के संस्करण में दिनांक 06.02.2026 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 12.03.2026 को ग्राम पंचायत - श्यारौली में करवाई गई।

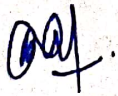
सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम - श्यारौली में प्रस्तावित क्लस्टर मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना के खनन पट्टा प्लॉट न. 27/2025 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह लोक सुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाएगी, जो आप केमरे के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. मोहम्मद आरिफ़ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्लॉट न. 27/2025 से सम्बन्धित खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर) आदि के बारे में पॉवर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से अनुरोध किया गया कि आप सभी ने इस परियोजना की जानकारी को सुना, समझा अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः पूछ सकते हैं तथा इस परियोजना से सम्बन्धित आपके कोई सुझाव आपत्ति हो तो आप खड़े होकर एक-एक करके यहाँ दर्ज करा सकते हैं।

यहाँ परियोजना प्रस्तावक, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर के अधिकारी, पर्यावरण सलाहकार सभी बैठे हैं। अगर कोई आंशका, सुझाव शिकायत होतो वह पूछ सकता है।

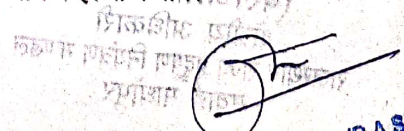
इसके पश्चात देशराज मीणा, खनिज कार्यदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग सवाई माधोपुर द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पूछा की भू-जल स्तर, तल से नीचे 40 से 45 मीटर की गहराई पर है तो इसका माप कहा से करोगे।



(बलजीत मीणा)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर



सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु. गंगापुर सिटी (संभल)

इसके पश्चात पर्यावरण सलाहकार ने बताया की उक्त परियोजना मे भू-जल स्तर सतह से नीचे 40 से 45 मीटर की गहराई पर है और जिसका माप सतह के स्तर पर मापा जाता है और खान में अधिकतम खुदाई की सीमा- 55 मीटर रखी गयी है जो पहाड़ के उपरी सिरे से रखी गयी है। और खनन योजना मे दिया गया है खनन योजना को खनन विभाग से अनुमति मिलती है।

इसके अतिरिक्त खनिज कार्यदेशक ने कहा कि व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अर्न्तगत कार्य आप गंगापुर में ना करके श्यारौली में करें जिसके प्रतिउत्तर में पर्यावरण सलाहकार ने कहा कि हम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अर्न्तगत कार्य ग्राम श्यारौली में ही करेंगे।

इसके क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा की खनन योजना मे कंट्रोल ब्लास्टिंग ही करे जिससे आस- पास के घरों मे दरार नही चले।

इसके पश्चात पर्यावरण सलाहकार ने बताया की उक्त परियोजना मे कंट्रोल ब्लास्टिंग करेंगे और ब्लास्टिंग का कार्य अधिकृत ठेकेदार के द्वारा किया जायेगा।

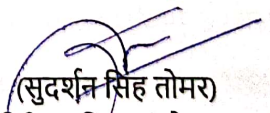
एक बार फिर से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनों से निवेदन किया कि इस परियोजना से सम्बन्धित आपके कोई सुझाव आपत्ति हो तो आप खड़े होकर एक-एक करके यहाँ दर्ज करा सकते है।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि आपके गांव में खनन परियोजनाए इसलिए आ रही है क्योंकि आपके गांव में पर्याप्त संशाधन उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने अपनी खनन परियोजना से सम्बन्धित दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत किये है जिसमें इन्होंने व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अर्न्तगत कार्य में खर्च होने वाली राशि का ब्योरा भी दिया है आप भविष्य में प्रस्तावित राशि के बारे में परियोजना प्रस्तावक से पुछ सकते है कि प्रस्तावित राशि खर्च की जा रही है या नहीं कि जा रही।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आस्वस्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जायेगी, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेगा एवं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
सवाई माधोपुर

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु० गंगापुर सिटी (राजस्थान)

(गणेश मजिस्ट्रेट)
प्रतिपादित
15/05/2017
गंगापुर सिटी

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स आदिल अहमद पुत्र श्री जमील अहमद द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन (Minor Miheral) खनन परियोजना, मैसर्स मैसर्स आदिल अहमद पुत्र श्री जमील अहमद एम.एल./प्लॉट न. 27/2025, एरिया 1.155 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 94,320 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम- श्यारौली, तहसील - वजीरपुर व जिला - सवाई माधोपुर, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.03.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :- ग्राम पंचायत - श्यारौली तहसील वजीरपुर के भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, श्यारौली, तहसील- वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर।

दिनांक : 13.03.2026.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम/कार्यालय/ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Sudarshan Singh	ADM-HQ, GAC (SWM)	9828410620	
2.	Baljeet meena	RO, RSPCB, SWM	9461239662	
3.				
4.	RAJKUMAR LUNDAR	JEE RSPCB	820901055	
5.	Mehesh Meena	Mining deff.	7976072558	
6.	Dr. Mohammed Anif	S&A Enviro System for LH Jaipur (Consultant)	904771846	
7.	Majid Khan	u	9872444222	

8.	Tarab Chand Bary	Jainpur (Raj.)	7792921278	Tarab Chand
9.	समील अहमद	झारखंड	7689947959	Sami
10.	राहुल शर्मा	झारखंड	9783103599	राहुल शर्मा
11.	रिंकी	झारखंड	8440939292	Rinky
12.	हनुमान सिंह	वज्जिपुर	8955143352	
13.	विजय सिंह	झारखंड	9982480849	Vijay
14.	अनुराग	झारखंड	9414784480	Anurag
15.	हनुमान	झारखंड	9460440444	Hanuman
16.	श्री जे शर्मा	वज्जिपुर	85028055	श्री जे शर्मा
17.	पुनम	झारखंड	9549921244	
18.	महेश	वज्जिपुर	9983244899	
19.	कामल		9602915546	
20.	अनुराग	झारखंड	9549858903	Anurag
21.	वज्जिपुर	झारखंड	9029784816	
22.	मीनू देवा	झारखंड निरोद्ध-सेवा	9783829448	Meenu
23.	वनीता महापात्र	वज्जिपुर झारखंड	9649722535	Vanita
24.	अदील अहमद	वज्जिपुर	9460151531	Adil

छात्रों को निःशुल्क भोजन गणवेश आदि की व्यवस्था भी करवाई जाती है। यह संस्कृत शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त संस्थान है।

ती तलावड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन 7 को

तलावड़ा। तहसील मुख्यालय स्थित सीताराम मंदिर परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन 7 फरवरी को किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से कस्बे सहित आसपास की ढाणियों में घर-घर संपर्क अभियान चलाया। सम्मेलन के शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। संगठन के कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए ₹100 की कलश यात्रा की राशि रखी गई है।

मनाया



राय क्षेत्र चमत्कारजी
 आस्त्री के मंत्रोच्चार के
 ने अशुभ कर्मों की
 मों के आस्त्व एवं
 ता की भावना प्रकट
 देव के किए गए
 कल्याण की मंगल
 शांतिधारा से हुई।
 द्रव्यों से भगवान
 ज्ञतपूर्वक पूजन की
 का उच्चारण कर
 क्र से निकलने की
 करते हुए आर्यिका
 र के बीच मोक्ष के
 ग्राण लट्ठ (मोदक)
 डू अर्पण करते ही
 भगवान पदमप्रभु के
 मान हो उठा। साथ
 और अहिंसा के मार्ग
 दिया।

व्यवहार प्रक्रिया साहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
नाम अदातत पारिवारिक न्यायाधीश क्रम-3 स्थान कोटा
प्रतिपात सिंह विरुद्ध प्रियंका राजावत
याद/प्रार्थना पत्र : 13 हिन्दू विवाह अधिनियम
प्रार्थना संख्या : 1045/24

नाम प्रियका राजावत W/o प्रतिपाल सिंह पुत्री श्री
मान सिंह पता जाति राजपूत निवासी प.नं. 111
IHS, कालोनी, बजरिया सवाई माधोपुर (राज.)
उक्त प्रार्थी ने इस अदालत में यह आवेदन किया है
कि धारा-13 हिन्दू विवाह अधिनियम

अतः आपको घेतायनी दी जाती है कि आपके आवेदन के पिरुख हूँक दूरित करने के लिए ता. 13 मास 2 सन 2026 को 10 AM पूर्वाह्न में स्वयं या अपने एजीडर द्वारा जिसे सामक्य रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंज्ञात हो यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।

यह आज ता. 12 माह 01 सन् 2028 का मर
हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञानुसार वरिष्ठ मुंसरिम
(मोहर) पारिवारिक न्यायालय क्रम-3, कोटा

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सर्वाई माधोपुर (राज.) 322001
फ़ोन नं. : 07462-294921 ई-मेल - torpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./शे.का./स.मा. - 869/1968-1971 दिनांक :- 02.02.2026

पर्यावरण स्वीकृति। इन विषयों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:-

सबसे सारणीकृत की सूचीत किया जाता है कि: सबसे अधिक आम में मनीस (Minor Mineral) खनिज परियोजना, निम्नलिखित सूची में दर्ज है:-

दिनांक: 27/05/2025, पर्याप्त 1.15 हेक्टर, उत्पन्न 48.83 टन (TPA) (ROM), कलश्वर श्रेणी - 48.83 हेक्टर, निम्नलिखित सूची में दर्ज है:-

गोला - पर्याप्त, तत्सम - पर्याप्त या निम्न - सबसे अधिक पर्याप्त के लिए पर्याप्त स्वीकृति के साथ ही इन सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

महत्वाकांक्षी के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव विपरीत एवं संभावित कार्यपालक मार निम्नलिखित कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत है:-

- (१) कर्णालय जिला कलकटूर, सर्वाई माधोपुर।
 - (२) कर्णालय जिला परिषद, सर्वाई माधोपुर।
 - (३) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सर्वाई माधोपुर।
 - (४) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डुंगरी, जयपुर।
 - (५) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, रावसन सिचवालिय जयपुर।
 - (६) जिला उद्योग केन्द्र, सर्वाई माधोपुर।
 - (७) खनिज अभियन्ता, खान एन भू विज्ञान विश्वविद्यालय, सर्वाई माधोपुर।
- पूर्विक:** राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिपत्रचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्राप्तधानी के परिचयन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिपत्रचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्राप्तिमान की जा चुकी है।
- जन सुमंवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी है कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।**
- अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि:** परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुमंवाई दिनांक 13 अगस्त 2007 को सुभाष चट्टानी हाहसील वर्जापुर के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र', शरारीली, वर्जापुर, जिला - सर्वाई माधोपुर में समेत सुमंवाई 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने मुद्दाबा/आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- इस समिति में लिखित सुझाव/आवेदन इस सूचना के प्रकाशन से जनसुमंवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, सर्वाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।**

आज्ञा :
(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सर्वाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं. : 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्ष.का./स.मा. - 870/1976-1979

सर्व साधारण को सुचित जाता है कि मेरस आदित अहमद मेमनरी स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना प्लॉट नं. 21/2025, रूफिया 1.0 हैक्टर, उदादन क्षमता - 83,025 TPA (ROM), कास्तर क्षेत्रफल - 48.83 हेक्टर, तहसील ग्राम- श्याहीली, तहसील - वजारापुर वजिला - सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई के अवसर पर मस्यदावेगों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

- उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं सांख्यिक कार्यालयों को सौंपित कार्यवाही के निम्नलिखित हैं-
- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सर्वाई माधोपुर।
 - (2) कार्यालय जिला परिषद, सर्वाई माधोपुर।
 - (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य मृदुपत्र नियंत्रण मण्डल, सर्वाई माधोपुर।
 - (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
 - (6) जिला टहसील केन्द्र, सर्वाई माधोपुर।
- (7) खनिज अभियान्त, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सर्वाई माधोपुर।
- चूंकि, राजस्थान राज्य मृदुपत्र नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत सकारात्मक कर के वन, पर्यावरण एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के पारितर्क्य में, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जल-सुरक्षा विभाग को सूचना दी जा चुकी है।
- अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जल-सुरक्षा विभाग को सूचना दी जा चुकी है।
- को ग्राम पंचायत - श्यामली तहसील जयपुर के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र', श्यामली, जयपुर, जिला - सर्वाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत करेंगे।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आशेष इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रशासन नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आ
(बलजीत मी
क्षेत्रीय अधिव

क्षेत्रीय कार्यालय
राज्य पाठ्यक्रम नियन्त्रण मण्डल भी

क सम्पन्न प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संश्लेषित कार्यवाहक भार निष्पत्तियाँ (यों पर्यावरण के प्रभाव के हैं- (1) कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग क्षेत्र, सवाई माधोपुर। (7) खनिज अभिव्यक्ति, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सचिवालय माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना काबल भारत सरकार के तहत, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अभिलेखित संख्या एच.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार भी जन सुचारु हैतु से आशय की मुचन जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय-स्थायीकृत हेतु जन-सुचारु दिनांक 11.03.2026 को प्रारंभ पंचाशत-श्रवणीती तहसील वजीरपुर के 'भारत निर्माण राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र' श्रवणीती, तहसील- वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर में सप्पय सुवृह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आशेष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव /आशेष इस मुचन के प्रकाशन से जस-सुचारु से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आता से- (बलजिता मीणा) क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय

फॉर्म संख्या 14-15, सीमा कॉलोनी, जेल के पीछे, मयारु मायोम (राज.) 322001
फोन नं 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com
क्रमांक: रा.प्र.वि.सं./शे.का./स.मा./सं.मा.-876/1988-1991 दिनांक: 04.02.2026

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible][illegible]

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com दिनांक: 04.02.2026

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./स.मा.-875/1984-1987

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स खाद्यग्राम नेचुरल सिस्तेम्स प्रा. लि. मैसोरी स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट नं. 23/2025, एरिया 1.0 हेक्टर, उत्पादन क्षमता 71500 TPA (ROM) कलशेट क्षेत्रफल 48.83 हेक्टर, निकट ग्राम-श्यासीनी, तहसील-वजीरपुर व जिला-मैसूर के लिए

[illegible]

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल: rorpcb.swm@gmail.com दिनांक: 02.02.2022

क्रमांक: स.प्र.नि.चं./बे.का./स.मा./सं.मा.-874/1964-1967

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसूर रोडित स्टोनर (खजरी) River Sand (Minor Mineral) खजरी परियोजना, प्लॉट नं. 0.4, हरिया 48.20 हेक्टर, उत्पन्न क्षमता 876763.13 TPA (ROM), कालसर क्षेत्रक 8.25 हेक्टर निकट पाप रोड, महसील चौथ का बरवाड़ा व जिला सर्वाड भागोपुर को मिल पर्यावर्तन प्रतिक्रिया

[illegible]

आज्ञा से- (बलजीत मीणा) क्षेत्रीय आयुक्त